सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 57 राँची, गुरुवार, 19 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 फरवरी, 2026

संख्या- 5/आरोप-01-02/2023 का० 624--राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 52, दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से प्राप्त आरोप पत्र में श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 111/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किया गयाः-

आरोप संख्या-1:- श्री महेश्वर महतो, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जमशेदपुर द्वारा तत्कालीन अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के फर्जी पत्र संख्या1907 दिनांक-16.08.2017 से प्रेषित अभिलेख में दिये गये तथाकथित आदेश के आलोक में अनावाद झारखण्ड सरकार के खाते की भूमि का अवैध नामान्तरण किया गया है। जो उनके अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता तथा घोर लापरवाही का द्योतक है ।

आरोप संख्या-2:- श्री महतो द्वारा अनावाद झारखण्ड सरकार के भूमि का अवैध दखलकार के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Second Appeal** में अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के पूर्व ही विविधवाद अभिलेख संख्या-36/2017-18 के द्वारा लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया, जो उनकी स्वेच्छाचारिता का परिचायक है ।

साथ ही **Bihar Land Reforms Act.** में लगान निर्धारण की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्राप्त है एवं अपर समाहर्त्ता के यहाँ अपील का प्रावधान है। श्री महतो द्वारा उक्त नियमों का उल्लघंन करते हुए लगान निर्धारण हेतु उक्त विविधवाद अभिलेख को सीधे अपर उपायुक्त को भेजा गया है। उक्त विविधवाद में तत्कालीन अपर उपायुक्त के स्पष्ट आदेश के बिना अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि का अवैध रूप से नामान्तरण किया गया है। श्री महतो का यह कृत्य उनके कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता तथा घोर लापरवाही का द्योतक है ।

आरोप संख्या-3:- श्री महेश्वर महतो, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जमशेदपुर द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्ण शीलनिष्ठा नहीं बरती गयी है एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) (i) एवं (ii) के आलोक में प्रतिकूल आचरण है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विधिवत प्रक्रिया को अपनाते हुए विभागीय संकल्प संख्या-21867 (HRMS), दिनांक-27.06.2023 के द्वारा श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-111/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय कार्यवाही के उपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-362, दिनांक-07.03.2025 द्वारा जाँच निष्कर्ष का प्रेषण उनके के द्वारा की गयी ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष में श्री महेश्वर महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit,** संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है ।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को **Exhibit** नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है ।

6. अतः श्री महेश्वर महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के आलोक में उक्त नियमावली के नियम-17 के तहत् पुनः जाँच करने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने हेतु पुनः आगे जाँच किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महेश्वर महतो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ ।

8. श्री महेश्वर महतो के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

9. विभागीय संकल्प संख्या 21867(HRMS), दिनांक-27.06.2023 के द्वारा श्री महेश्वर महतो के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, जमशेदपुर को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

10. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को **Exhibit** करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

11. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री महेश्वर महतो, झा०प्र०से० एवं श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 57 - 50